न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 115/2019 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2019/00387

1. कैलाश पिता रामनारायण जी जाति आचार्य निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

2. मुकेश पिता रामनारायण जी जाति आचार्य निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

3. श्रीमति पारसी उर्फ पारस पत्नि रामनारायण जी जाति आचार्य निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश पिता रामनारायण जी जाति आचार्य निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. महेश प्रजापत पिता भेरुलालजी जाति कुम्हार निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

3. कपील पिता पृथ्वीराज जाति टांक निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

4. श्रीमति पुष्पा पत्नि पन्नालाल जी जाति आचार्य निवासी बिनौता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

5. उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षीगण

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता विपक्षी 2,3,4

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20.12.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:21 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की आराजियात वाकि मौजा बिनौता प०ह० बिनौता तह० निम्बाहेडा की खाता नं0 351 की आराजी नं0 1584 रकबा 0.1600 हे० व आराजी नं0 1585 रकबा 0.3200 हे० कुल किता 2 कुल रकबा 0.4800 हेक्टेयर स्थित है ।

वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही हैं, वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण ने मक्का की फसल बो रखी है विपक्षी नं0 2 ता 4 का प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात से कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही है प्रार्थीगण दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ गंवार व्यक्ति है प्रार्थीगणो को 50,000/ रुपये की आवश्यकता होने से प्रार्थीगणो ने अपनी आराजी को रहन रखने के लिए गांव में बातचित की जिस पर विपक्षी नं0 2 ता 4 ने प्रार्थीगणो की अनपढता व अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाने की नियत से प्रार्थीगणो को कहा कि रहन नामे की रजिस्ट्री कराना पडेगी जिस पर विपक्षी नं0 2 ता 4 ने प्रार्थीगण व विपक्षी नं० 1 को निम्बाहेडा लेकर आये जहां पर विपक्षी 2 ता 4 ने प्रार्थीगण व विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को हडपने की नियत से षडयंत्र रचकर प्रार्थीगणो को विश्वास मे लेकर रहन नामे के बजाए घोखा देकर षडयत्र पूर्वक विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन प्रवितादी नं० 2 के नाम पर करवा दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 को नहीं थी प्रार्थीगण ने उक्त लिखा पढी की फोटो कॉपी मागी तो विपक्षी नं0 2 ता 4 द्वारा आना कानी करने पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज की नकल प्राप्त की ओर नकल लेने पर जानकारी होते ही प्रार्थीगण ने विपक्षी नं0 2 ता 4 को उक्त धोखाधडी पूर्वक किये गये फर्जी व कुट रचित दस्तावेज को खारीज करा कर उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के नाम पूनः दर्ज कराने हेतु विपक्षी नं0 2 को कहा तो विपक्षी नं0 2 ने धमकियां दी की जमीन की हमने रजिस्ट्री करा ली है तथा जमीन पर भी हम जबरन नाजायज कब्जा कर लेगे, जबकि प्रार्थीगण ने कोई भूमि विक्रय नही की है तथा मौके पर कोई कब्जा विपक्षी नं0 2 को सुपुर्द नही किया हैं तथा कोई विक्रय राशि प्राप्त नही की हैं तथा उक्त फर्जी व कुट रचित दस्तावेज के आधार पर विपक्षी नं0 2 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है विपक्षी नं० 2 ता 4 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिन्होने अवैध गिरोह बना रखा है।

3. विपक्षी नं0 2 ने वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के नाम पर दर्ज कराने से इंकार हो गये तथा प्रार्थीगण एव गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षी नं0 2 को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं0 2 किसी भी सूरत में मानने को तैयार नही हैं। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की घौषित कराने के अधिकारी है।वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही हैं, वादग्रस्तआराजियात पर प्रार्थीगण ने मक्का की फसल बो रखी है विपक्षी नं0 2 ता 4 का प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात से कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नहीं है तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 ने प्रार्थीगणो की अनपढता व अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाने की नियत से षडयत्र पूर्वक रहन नामे के बजाए विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन विपक्षी नं0 2 के नाम पर करवा दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 को नही थी, प्रार्थीगण को उक्त षडयंत्र की जानकारी होते ही प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 ने विपक्षी नं0 2 ता 4 को वादग्रस्त भूमि पुनः नाम पर कराने की कहा तो विपक्षी नं0 2 ता 4 ने धमकियां दी की जमीन की हमने फर्जी रजिस्ट्री विपक्षी नं0 2 के नाम करा ली है तथा जमीन पर भी हम जबरन नाजायज कब्जा कर लेगे, [illegible] भू माफिया है, तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिन्होने अवैध गिरोह बना रखा है, तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 ने वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 के नाम पर दर्ज कराने से इंकार हो गये तथा प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षी नं0 2 ता 4 को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं0 2 ता 4 किसी भी सूरत में मानने को तैयार नही हैं। तथा वादग्रस्त भूमि येन केन प्रकारेण अपने नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करा कर

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा हैं, तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 को उनके खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं एवं राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगणो को उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात की हकाई, जुताई, फसल बुवाई, फसल की निराई गुडाई करने मे बाधा पैदा कर रहे है तथा प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियो द्वारा विपक्षी नं0 2 ता 4को समझाने बुझाने पर भी विपक्षी नं0 2 ता 4 किसी भी सूरत में मानने को तैयार नही हैं। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी हैं।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 बावजुद सूचना अनुपरिथत होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये तथा विपक्षी संख्या 2 पत्रावली में अपना जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी क्रमांक 2 से 4 के वारिसान अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत ने मूल वाद में अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

- प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजियात वाके मौजा बिनौता में स्थित हो इस चरण में अंकित आराजी सं0 1584 व 1585 रकबा 0.4800 हे० प्रतिवादी नं0 2 महेश प्रजापत के आधिपत्य स्वामित्व एवं कब्जे की है महेश प्रजापत द्वारा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 से जरिये इकरार नामा दिनांक 26/05/2018 को कय किया गया तथा इसी इकरार नामे की पालना मे रजिस्ट्री विक्रय विलेख उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा के समक्ष प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 द्वारा विपक्षी नं0 2 व विपक्षी नं० 3 एवं विपक्षीनं0 4 की गवाही मे राशि प्राप्त कर विपक्षी नं० 5 उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा के समक्ष प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 द्वारा विकिय विलेख दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु दिनांक 11/03/2019 को पेश की जहासं उपपंजीयक महोदय विपक्षी नं० 5 द्वारा सम्पूर्ण जांच एवं पुछताछ कर पंजीयन विक्रय विलेख का किया गया। इसलिए यह भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नही होकर विपक्षी नं0 2 के कब्जे स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा पंजीयन पूर्व ही कब्जा प्राप्त कर विपक्षी नं0 2 ही काश्त करता चला आ रहा हैं।

- वादग्रस्त आराजियात में स्वामित्व अधिपत्य एवं कब्जा भी विपक्षी नं0 2 महेश का ही है तथा सम्पूर्ण राशि अदा कर पंजीयन विक्रय विलेख का करवाया गया इसलिये प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 का भूमि से कोई सम्बन्ध व सरीकार नही है यीद भी गलत है कि प्रार्थीगण दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ व्यक्ति हो बिनौता एक औद्योगिक क्षेत्र है तथा निम्बाहेडा बड़ी सादी मुख्य सड़क मार्ग से जुडी पंचायत है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 पढे लिखे एवं समझदार व्यक्ति है तथा उपपजीयनक महोदय के समक्ष पंजीयन कराया राशि प्राप्त की ना कोई धोखा दिया ना ही रहन का कहा गया अब चुंकि मार्केट मे कीमते बढ़ गई तथा भू माफिया द्वारा यह कहा गया कि जमीन सस्ती बेच दी हम ज्यादा पैसे देगे इसी कारण भू–माफिया के सिखावे में आकर पहले तो विपक्षी नं0 2 से पांच लाख रुपये की मांग की नही देने पर यह झुठा वाद पेश किया गया, है कहना गलत है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की कॉपी प्रार्थीगण को नही मिली हो जबकि एक प्रति शुरु से ही प्रार्थीगण के पासहै इस कलम में सभी तथ्य मनगढंत झुठे एवं मिथ्या हैं, तथा विक्रय विलेख का पंजीयन कराने एवं राशि प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 स्वामी नहीं [illegible] 03/2019 से एक मात्र स्वामी विपक्षी नं0 2 महेश ही है तथा जब तक विक्र[illegible]वल[illegible] निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक किसी प्रकार की रहात [illegible] अधिकारी नहीं हैं, तथा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी [illegible] की धोषणा आप न्यायालय द्वारा विक्रय विलेख के जीवित रहते प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible]ीं की जा सकती हैं।

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी नं0 2 ने बो रखी है प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 का कोई सम्बनध वाद मे वर्णित भूमि से नहीं है शेष कथन का जवाब उपर के चरण में वर्णित किया जा चुका हैं चूंकि भूमि विधिवत रुप से राशि अदा कर क की गई एवं प्रक्रिया के अनतर्गत पंजीयन कराकर कब्जा प्रापत किया गया है इसलिए भूमि का स्वामी एक मात्र विपक्षी नं0 2 है तथा विपक्षी नं0 2 ही इस पर काश्त करता चला आ रहा हैं इसलिए प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नही हैं।

- प्रार्थीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से वादग्रस्त आराजियात पर नही हैं। कब्जा विपक्षी नं0 2 का है इसलिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही है सुविधा का संतुलन भी विपक्षी नं0 2 के पक्ष में तथा विपक्षी नं0 2 को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने मे अपूर्णिय क्षति विपक्षी नं0 2 का होगी प्रार्थीगण को नही।

8. बहस विद्‌वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्‌देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित वाके मौजा बिनौता आराजी सं0 1584 व 1585 रकबा 0.4800 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी नं0 2 महेश प्रजापत के आधिपत्य स्वामित्व एवं कब्जे की है महेश प्रजापत द्वारा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं० 1 से जरिये इंकरार नामा दिनांक 26/05/2018 को क्रय किया गया तथा इसी इकरार नामे की पालना मे रजिस्ट्री विक्रय विलेख दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु दिनांक 11/03/2019 से विपक्षी नं0 2 के कब्जे स्वामित्व एवं आधिपत्य की है ।इसलिए उक्त भूमि विपक्षी नम्बर 2 की सवअर्जित आराजियात होने से वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार विपक्षी संख्या 2 हाने से विपक्षीगण के वारिसान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से आराजी सं0 1584 व 1585 रकबा 0.4800 हैक्टेयर की आराजियात में विपक्षी क्रमांक 2 का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है तथा विपक्षी क्रमांक 2 की सवअर्जित संपत्ति होकर विपक्षीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है इसलिए अपूरर्णीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़
सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण की सवअजित आराजियात है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 22.07.2019 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्राथीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:12 IST
Reason: SelfAttested